

जी हों, वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों पर जिलाधिकारियों द्वारा आपदा राहत कोष से यथावश्यक मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यों की स्वीकृति निर्गत की जाती है। तदनुसार विभाग द्वारा मार्गों के मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

विशेष परिस्थितियों में बाढ़, भारी वर्षा व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों पर विभागीय मद से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मार्गों पर सुगम यातायात बनाये रखने हेतु आवश्यक मरम्मत कराई जाती है।

वर्ष 2020-21 में वर्षाऋतु के पश्चात 4190 मार्गों पर विभागीय बजट से कुल ₹0 1395.14 करोड़ कार्य की लागत के कार्य स्वीकृत करते हुए मरम्मत का कार्य कराया गया है।

आगामी वर्षाऋतु के पश्चात ही जनपद सुल्तानपुर में मार्गों पर वर्षा के कारण होने वाली क्षतियों का आंकलन किया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार ।

बृजेश सिंह
राज्य मंत्री,
लोक निर्माण विभाग।